न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–06/2019

1. शिशपाल पुत्र नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मणगीर उर्फ मनीगीर पुत्र बादलगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. बिमलादेवी पुत्री बादलगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. सुमित्रा पत्नी नथूगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. गीता पुत्री नथूगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
5. नरेन्द्र पुत्र नथूगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–असल रेस्पोडेन्टस

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–रेस्पोडेन्टस

7. यशोदा पुत्री नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
8. देवकी पुत्री नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
9. सुनील पुत्र नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
10. कौशल्या पुत्री नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
11. श्यामगीर पुत्र बादलगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
12. राजप पुत्र सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
13. राजेन्द्र पुत्र सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

14. भीम पुत्र सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
15. इन्द्रा पुत्री सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
16. भगवानीदेवी पत्नी सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
17. सन्तोष पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
18. मीरा पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
19. सुरेन्द्र पुत्र सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
20. लिलावती पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
21. कृष्णा पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
22. कंचन पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

—तरतिबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—1,3,5,11,16,19
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—12

<u>निर्णय</u> दिनांकः—16.02.2023

अपीलांट शिशपाल पुत्र नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ने विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार (राजस्व) छानीबड़ी दिनांक 20.5.1995 जिसमें इंतकाल संख्या 171 चक न. 5 सी.एच.एन. तस्दीक किया गया को निरस्त करवाने हेतु अपील पेश की है, जिसके संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार है—

1. यह कि अपील कृत निर्णय विधि विरुद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है। नकल इंतकाल संख्या 171 संलग्न अपील है।
2. यह कि संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक न. 5 सी. एच. एन. तहसील भादरा के मु.न. 53 कि.न. 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 मु.न. 54 कि. न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु.न. 64 कि.न. 5 कुल 24 बिघा भूमि का बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर कौम गोसाई खातेदार काश्तकार था, जिसका देहान्त हो गया, जिसके जायज वारिस रेस्पोडेन्ट न. 1, 2, 11 एवं मणीदेवी पत्नी एवं नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण एवं सीतादेवी पुत्री कुल 8 वारिस हुए थे।
3. यह कि बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर कोम गोसाई का देहान्त हो गया जिसके जायज वारिस रेस्पोडेन्ट न. 1, 2, 11 एवं मणीदेवी पत्नी एवं नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण एवं सीतादेवी पुत्री कुल 8 वारीस हुए लेकिन बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट न. 1, 2 व नत्थूगिर व मणीदेवी ने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

16/2/23

साजिसाना कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम विरासतन इंतकाल संख्या 171 दिनांक 20.05.1995 को कानून की स्पष्ट अवहेलना कर रेस्पोडेन्ट नं0 6 द्वारा आदेश पारित करवाकर उपतहसीलदार छानीबड़ी से अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया गया जबकि बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर के कुल 8 वारिस थे, इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

4. यह कि मणीदेवी पत्नी बादलगीर फौत हो चुकी है, जिसके वारिस रेस्पोडेन्ट न. 1 2, 11 एवं नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण एवं सीतादेवी पुत्री हुए एवं नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण बादलगीर एवं सीतादेवी पुत्री बादलगीर फौत हो चुके है। नत्थूगिर के जायज वारीस रेस्पोडेन्ट न 3 ता 5 ही है नन्दगिर के जायज वारिस अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 7 ता 10 ही है सीतागिर के जायज वारिस रेस्पोडेन्ट न. 16 ता 22 ही है एवं सीतादेवी के जायज वारिस रेस्पोडेन्ट नं. 12 ता 15 ही है।

5. यह कि मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 7 ता 22 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ना ही इंतकाल दर्ज करने से पूर्व विवादित भूमि के कब्जा संम्बधी जांच की ना ही बादलगीर के वारिसान बाबत सही जांच की, यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो बादलगीर के 8 वारीस 1/8 –1/8 हिस्सा के हकदार होते एवं इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

6. यह कि मातहत अदालत को निर्णय पारित करने से पूर्व वारिसान बाबत् ग्रामवासियों से सही जांच कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है, जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है ।

7. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी, मनमाना, एकपक्षीय एवं कानून सम्मत नहीं है,जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है ।

8. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है ।

9. यह कि फर्जी व कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर रेस्पोडेन्ट न. 1, 2 व नत्थूगिर व गणीदेवी ने भूमि अपने नाम दर्ज करवाई है जबकि बादलगीर के 8 वारिस एवं हकदार है, राजस्व रिकार्ड में भूमि नाम दर्ज नहीं होने के कारण जिससे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 7 ता 22 के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिये मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

10. यह कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 7 ता 22 अपने हक व हिस्सा की भूमि को लगातार काश्त करते आ रहे हैं लेकिन अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है जिसे कानूनी जानकारी नहीं है ना ही रिकार्ड को देखा अब रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 5 ने ऐलानिया कहा कि हमने जमीन विरासतन अपने नाम दर्ज करवा कर कुछ भूमि आगे बेच दी है तब पटवारी हल्का से जमाबन्दी देखी तो रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी होते ही हल्का पटवारी से इतकाल की नकल दिनांक 06.02.2019 को प्राप्त की तब विधि विरूद्ध इंतकाल के दर्ज होने की जानकारी हुई जानकारी होते ही वकील के मेंहन्ताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया एवं तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

11. यह कि रेस्पोडेन्ट न. 7 ता 22 वर वक्त दायरी अपील हाजिर नहीं होने के कारण तरतिबी रेस्पोडेन्टस बनाया गया है, वे जब चाहें अपीलान्टस बन सकते है।
12. यह कि अपील अदालत के क्षैत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील

अपीलान्ट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 171 चक न. 5 सी. एच. एन. तहसील भादरा दिनांक 20.05.1995 निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपीलांट अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 5, 11, 16, 19 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये एंव रेस्पोडेन्ट संख्य–12 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया लेकिन न तो स्वंय उपस्थित हुए न ही उनकी ओर से कोई विधिक पैरोकार उपस्थित हुये। बार–बार आवाज लगाने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 न तो स्वंय उपस्थित नहीं हुए न ही उनकी ओर से कोई पेरोकार उपस्थित हुआ। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि उपतहसीलदार (राजस्व) छानीबड़ी द्वारा दिनांक 20.05.1995 इंतकाल संख्या 171 रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. तस्दीक किया गया। रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. तहसील भादरा के मु.नं0 53 किला नं0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 मु0नं0 54 की भूमि बादलगीर पुत्र उदयगिर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि बादलगिर पुत्र उदयगिर के फौत होनें पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 11 एंव मणीदेवी पत्नी बादलगीर ने अपनें नाम दर्ज करवा ली जबकि बादलगिर पुत्र उदयगिर के रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 11 एंव मणीदेवी के अलावा अन्य मिलाकर कुल 8 वारिस है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 11 एंव मणीदेवी के पक्ष में दर्ज नामान्तरण गलत है। बादलगिर पुत्र उदयगिर के अन्य वारिसों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही वारिसान के संबध में कोई जांच की गई और न नही उक्त भूमि के कब्जा संबधी कोई जांच की गई। फर्जी दस्तावेज के आधार पर शपथ'–पत्र दिया गया। प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 5 म्याद अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। इस संबध में निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

(1) 2016(1) RRT 371
(2) 2022(2) RRT 1137
(3) RRD 2002 page no. 65
(4) 2012(2) RRT 850
(5) 2018(1) RRT 186

म्याद पर विचार नहीं किया जावें तो अपील कभी भी की जा सकती है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 3, 5, 11 16, 19 ने अपनी बहस में कथन किया कि बादलगिर पुत्र उदयगिर के फौत होनें पर के बाद बिना जांच नामान्तरण का कथन किया जबकि ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा वारिस प्रमाण–पत्र तस्दीक

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

किया। इसी से नामान्तण तस्दीक किया गया। बादलगिर पुत्र उदयगिर के 8 वारिस नहीं थे बल्कि 4 ही वारिस थे जो कि वोटरलिस्ट भादरा(1) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1966 भाग संख्या 33, भादरा(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1971 भाग संख्या 36, भादरा(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1975 भाग संख्या–37, भादरा (1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1980 भाग संख्या–27, मतदाता कार्ड क्रमांक 61, राशन कार्ड आदि भी है। नामान्तरण संख्या 171 रोही मौजा दिनांक 20.05.1995 ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा जारी वारिसनामा के आधार पर किया गया है यदि नामान्तरण विधि विरूद्ध था तो अपीलांट ने 27 वर्ष तक कोई अपील प्रस्तुत क्यों नहीं की एंव तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरण की अपील की म्याद 30 दिन है तथा अपीलांट द्वारा 27 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई जो कि म्याद बाहर है इसीलए अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 3, 5, 11 16, 19 ने निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

(1) 2019 RBJ 20 page no. 20 to 24 Revision/colo/ 4980 / 2007/ Bikaner, State of rajasthan through Tehsildar Colonization *versus* Suraj Narain s/o Narsinghdas

(2) [Citation: 2022(2) DNJ (Rev.) 1609] Nihal khan & Ors. *Versus* State of Rajasthan thro' Tehsildar Nachna-2

हमनें अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा रिकार्ड का अध्ययन किया एंव न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में सन् 1995 में भरे गए नामान्तरण पर प्रश्नचिन्ह् कारित किया गया है। दोनों पक्षों के वारिसान संबधी बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत किए गये है परन्तु वारिसान संबधी दस्तावेजों में एकरूपता का अभाव है। यह एकरूपता क्यों नहीं है, इस बिन्दु पर किसी पक्षकार द्वारा कोई भी कथन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही कोई तथ्य पेश किया है। इस अपील में नामान्तरण को प्रश्नगत करनें के स्थान पर वल्दियत पर प्रश्नचिन्ह् है जिसका निर्धारण किया जाना है। जहां तक नामान्तरण का प्रश्न है, 25 वर्ष पश्चात अपील पेश किया जाना सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अपीलांट बादलगिर के वारिसान है या नहीं, यह भी सिद्ध नहीं होता है। अपीलांट पहले अपनी वल्दियत एंव हक अधिकार का निर्धारण दावे से सक्षम न्यायालय में करवाए। इस स्तर पर यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक **16.02.2023** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/2/23

(चंचल वर्मा R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर